

राजस्थान सरकार जारिये भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी
 "खाता दुरुस्ती"

2021/1067

167
 2/मान

रिपोर्ट पटवारी हस्त/आपुएल0आगो गुडा केर गुडा
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाय की गई। जिसके अनुसार
 श्री गुडा गुडा के रकम सं. 39 में काश्कर का नाम किशोरी लाल पुत्र लालराम है
 और काश कर न कोर 1.0 के काश कर काश्कर का नाम की शुद्ध रिपोर्ट प्रमाण लेनी
 पुत्र लालराम देनी की जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्रमांक : राजस्व / 2020 /
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडगाँव

दिनांक -
 24/11/2021
 तहसीलदार (भू-अ.)
 तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुडगाँव

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त किता जाय उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझु (राज.)
 - आदेश :-

दिनांक :- 24/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडगाँव की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडगाँव को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	गुडाकेर	2075-78	39	किशोरी लाल पुत्र लालराम	किशोर लाल देनी पुत्र लालराम देनी

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 24/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1577-76

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडगाँव को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

